

अञ्चल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-

— 100 —

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो शरद कुमार शर्मा, वरिष्ठ आडीटर
 2. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ आडीटर
 3. शरीरगत दत्तन 20650 + 5400 G.P. अगामी दत्तनवृद्धि की तारीख 1 July 2018.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरा जिले, उप सभाग, ता.लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** उससे पट्टा, बंधक, विरासत, गैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा
भरतपुर जिला, सवाई महाराज	-	दूधिया ग्राम 0-306 लीचा	कुल मूल्य रु 2-73 लाख रामसिंह ... वर्तमान मूल्य 07-8 लाख अनुमानित	पत्नी गीमति निला शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से पारिवारिक मित्रों के साथ पत्नी का स्वामित्व क्रमांक 0-306 लीचा जगमो	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** उससे पट्टा, बंधक, विरासत, गैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा माई जुलाई 2011 में क्रम (विमिमे) निल क्रिया गुमा / विवेक - जो गवर्नर सिंह

नोट: मेरे द्वारा मेरे स्वामित्व का आवासीय प्लॉट वर्ष 2011 में विजय दिया गया है।

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ परमाणु स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बता दिया जाये ।
 *** इसमें अत्यन्तकालीन पट्टे भी शामिल हैं ।

टीपिंग - नव्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1969 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक स्तर पर से यह अपेक्षा है कि जो व्यक्ति में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामीत्व का जवाबदार अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

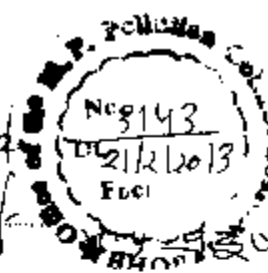


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

7/17/20

पद

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-13



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है: श्री मती बाशि बाग
 2. वर्तमान धारित पद: अधीक्षक
 3. वर्तमान वेतन: 24640/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख: 1-7-2013

मध्य प्रदेश अधिपति नियंत्रण कोड

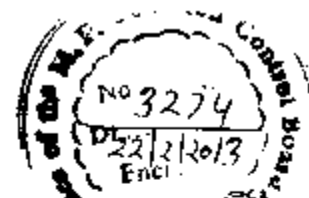
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-प्रभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शाराकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्वयं पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
<u>पूर्वनिवृत्त</u>							

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण कर-18 संग्रह न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इरागें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अवचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रहा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क. अ. (11)
24/2

हस्ताक्षर Shyam
 नाम श्री मती बाशि बाग
 पद अधीक्षक



अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012.

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो कै. डी. उग्र, एसिस्ट लेखापाल, मुख्य भंडार, प्रमुख नियंत्रण बोर्ड गैरतार
 वर्तमान धारित पद एसिस्ट लेखापाल
 वर्तमान क्षेत्र एसिस्ट लेखापाल अगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2013

(बैतनामपत्र नं. 9200-34800+93 से नं. 4200) कुल क्षेत्र नं. 44081-50 भा/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
उस जिले, उप-सभाग, ता.ब्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरा	गृह तथा अन्य भवन	गूँभि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर नारित है और उसका शासकिय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद मद्दा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
1- धारित अथवा सम्पत्ति संबंधी जानकारी (31-12-2011 को दी गई जानकारी अनुसार) है।								
2- वर्ष 01-01-2012 से 31-12-2012 तक की अवधि में कोई सम्पत्ति अर्जित नहीं की गई है।								

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

६६ ऐसे मामलों में जहाँ मृत्यु का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्थायित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

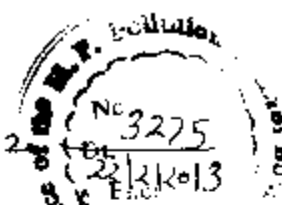
पुस्तकालय

नाम

42

आ. प्र. प्रमुख निदेशों को देना

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो: ले. एम. नारायण
2. वर्तमान धारित पद: अ. व. स. / वरिष्ठ ले. नारायण
3. वर्तमान वेतन: 20440 + अन्य भत्ते आगामी वेतनवृद्धि की तारीख: जुलाई 2013

(1) उस जिले, उप-खण्ड, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
वर्ष 2012 में केवल संपत्ति	केवल संपत्ति	केवल संपत्ति	केवल संपत्ति	का विभाग	किरक ही कर्त; मेरे द्वारा कोई		

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसी मामलों में जहाँ मूल्य का राही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) विभाग, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

22/12/13

ले. एम. नारायण

अ. व. स. / वरिष्ठ ले. नारायण

श्री का. ज्ञानद लि. प्रा. वि., पं० लै. राजाजी

- श्री का. ज्ञानद लि. प्रा. वि., पं० लै. राजाजी

श्री का. ज्ञानद लि. प्रा. वि., पं० लै. राजाजी

- श्री का. ज्ञानद लि. प्रा. वि., पं० लै. राजाजी

श्री का. ज्ञानद लि. प्रा. वि., पं० लै. राजाजी

श्री का. ज्ञानद लि. प्रा. वि., पं० लै. राजाजी

1714

पत्रांग

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है गुलाबराव भाकोडे प्रशासकीय सेवा
2. वर्तमान धारित पद अधीक्षक
3. वर्तमान वेतन 17640 पेंशन 52000/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई '18

(1) उस जिले, तप रंगगा, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्यारे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
				इस दौरान कोई नया अर्जन नहीं			
				सूचना:			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का राही-सही निर्धारण करना सम्भव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (4) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के अन्तर्गत यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क. अ. (11)

22/2

हस्ताक्षर गुलाबराव भाकोडे
नाम गुलाबराव भाकोडे
पद अधीक्षक

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-

1. नागरिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो सुभाष चन्द्र शिवाजी, "उद्योगिक एवं लेखा सेवाएं"
 2. वर्तमान धारित पद अध्यक्ष / वीरब लखनपाल
 3. वर्तमान पेंशन आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2013
 रु. 17690 + 4500 (डि. डे.) & other Allow.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उत्ते किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, गैर या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा धोरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
निर्भर	निर्भर	निर्भर	निर्भर	निर्भर	निर्भर	निर्भर	निर्भर

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रहा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

दिनांक
21/02/2013

हस्ताक्षर

नाम सुभाष चन्द्र शिवाजी

पद अध्यक्ष / वीरब लखनपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो आर. पी. लालिया
2. वर्तमान धारित पद लेखापाल
3. वर्तमान वेतन 12930/-, आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इरामें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर हया उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर R. P. Laliya
 नाम R. P. Laliya
 पद Accounts

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद सहायक अधीक्षक/लेखापाल
3. वर्तमान वेतन 16060 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

मेधा लाल गुप्ता क्षेत्रीय कक्षा. म.प्र. प्र. नि. बोर्ड सिंगरली
जुलाई २०१३

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-सभागा, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरा	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, गैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अन्युक्ति
जिला बीकानेर तारकापुरा सभित बोहरा बीकानेर (ग.प.)	40x60 वर्ग फु. में 40 वर्ग का मकान जिला बीकानेर	20x40 वर्ग फु. में 20 वर्ग रिजल प्लॉट दक्षिण दिशा में	2 लाख	स्वयं के नाम पर	स्वयं के नाम पर प्लॉट (घर) का साधन एवं बैंक से स्वयं प्राप्त कर मिलीय दिनांक मया।	निराकार	—

*: जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

*** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पढ़ते भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विश्वास में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर 
 नाम उदयलाल गुप्ता
 पद सहायक उच्चा/लोकपाल
श्री वि. कामरूप रिंग रोड
(म. ५)

2348

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

4378

21/3/2013

1. अभियंता/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्रीमती सुजटा देवी परिता, कक्षा अधीक्षक
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान पेंशन 17050/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उच्च संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतवाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शाराकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उस किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्वरीय पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अयुक्ति
<u>खंडी</u>	<u>1479-D, Sector Sudama Nagar</u>	<u>/</u>	<u>Rs. 60,000/-</u>	<u>स्वयं के नाम पर</u>	<u>नॉट को एफेन रंग रिश्तेदारों से उच्चा लेकर उपाधीक्षक पदा को स्वरीय मई 1992 में जी नरेन्द्र सिंह जी से</u>	<u>5000/-</u>	<u>माह</u>

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का राही-राही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार 6 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वाधिनता का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उच्च विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम श्रीमती सुजटा देवी परितापद कक्षा अधीक्षक/नरवायल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्री. रम. खरे
2. वर्तमान धारित पद लेखापाल
3. वर्तमान वेतन 15450 + 3600 + 1200 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उस किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
ग्राम-पुधवारा तहसील-कुम्भवाड़ा जिला-महीबा (2.9.0)	गृह संयुक्त भवन	कृषि भूमि संयुक्त परिवार	15 लाख	श्री रम. खरे (भाई) व स्वयं मेरे नाम	विरासत में	Rs. 200000	

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर Bharil
नाम श्री. रम. खरे
पद लेखापाल

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो डी.के. माहवीर
 2 वर्तमान धारित पद अचल संपत्ति अधिकारी
 3 वर्तमान दैनिक 16252 + अचल संपत्ति आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्वयं पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अन्युक्ति

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर डी.के. माहवीर
 नाम डी.के. माहवीर
 पद Accountant

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो मीनो देवचौली
2. वर्तमान धारित पद कॉन्सिडरेशन
3. वर्तमान वेतन — आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ध्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्रोत	संपत्ति से वार्षिक आय	अन्यवित्त
निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये ।
 *** इसमें अत्यन्तकालीन पदों भी शामिल हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1969 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

13.26/2.113.

हस्ताक्षर  -

नाम . . श्री. रात देवस्थानी -

पक्ष नारायण अश्वी दत्त

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो ली. ली. शर्मा
 2 वर्तमान धारित पद कक्ष सहायक/कैदलखाना
 3 वर्तमान वेतन 12630 + 3600 डीडी 03 मार्च 2013

(1) उस जिले, उप संग्राम, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) आयुक्त
ग्राम - नील बड तह - डुमुर जिला - मीरजापुर	गवन	-	10 लाख	-	बौड से अर्जित करे पर भूमि कुछ भूमि गरीब ताल्लुका बौड से भी अर्जित करे पर गवन भूमि का भूमा पत्रा।	निल	आयुक्त

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन गढ़ते भी शामिल हैं।

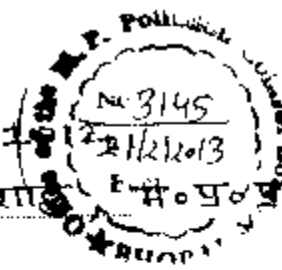
टीप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय रोवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उत्तरमें वह उनके स्वाभाविक का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर Banma
 नाम ली. ली. शर्मा
 पद कक्ष सहायक/कैदलखाना

1674

कार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 1999



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो 1999 सी. एल. शाह
 2. वर्तमान धारित पद जे. ए. ए. ए.
 3. वर्तमान वेतन 12450 + 3600 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2013

(1) उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा थोड़ा-बहुत	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा थोड़ा-बहुत	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क. अ. (11)

24/2

हरताक्षर

नाम सी. एल. शाह

पद जे. ए. ए.

1669

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्रीमती कुलका पंडार
 2. वर्तमान धारित पद जु. अ. अधीक्षक
 3. वर्तमान वेतन आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, मातृका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ध्योरे	गृह तथा अन्य भवन भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किराके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किरा प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, गेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	आयुक्ति
			<u>पूरा पंडार</u>				

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य कम सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

ज. अ. (11)
22/2

हस्ताक्षर

नाम श्रीमती कुलका पंडारपद जु. अ. अधीक्षक

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है एम. प्रब. मेन
 2. वर्तमान धारित पद लेखापाल
 3. वर्तमान वेतन 17504 G.P. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख अप्रै 13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शाराकीय कार्याशी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक उदग	अभ्युक्ति
				निरस्त			

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : गध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर था उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो प्रोफेसी सहाय वास्तविक
 2. वर्तमान धारित पद लेखापाल
 3. वर्तमान वेतन 29798=60 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख July 13

(1) उस जिले, उप-स्भाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
भोपाल	-	-	-	Nil	-	-	-

* जहाँ लागू हो कोट दीजिए।

** ऐसी गांवले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टी.एनपी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह गहीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

प्रोफेसी सहाय वास्तविकलेखापाललेखापाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2011

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो राजकुमार सिंहवार म.प्र. प्रखण्ड निमगांव वि.प्र. 2. वर्तमान धारित पद सहायक मजदूर 3. वर्तमान वेतन 12450 + भत्ता आयु भी वेतनवृद्धि की तारीख 3/7/2013

(1) उस जिले, उप राज्य, तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ध्योरे	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो यतसंभव कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	7 संपत्ति से वार्षिक आय	8 अवस्थिति
(1) ग्राम बमनेरा समर	-	हथि धरि	तीन (3)	स्वयं के नाम	स्वयं के निधि से स्व माता किन की देवकी से	25000/-	-
(2) दीनपमलनगर EL-194 5 बीघा मवाली 45	मकान	-	10 लाख	भेंट	पैसा से प्रत्येक स्व स्वयं के निधि से	-	-
(3) धर्मपुरी धर्मपुर फाई सफाई (म.प्र.)	रस्ता 2 15X30 (4500 क.मी.)	-	रुक्क लाख	पॉलिसी धर्मपुरी देवी की देवकी	स्वयं के निधि से दे	-	-

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वस्थित का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

आ.के. कासिवा
सहायक मजदूर

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्रीमती शकुंतला मोरे, होम गार्ड कापील में था.
- वर्तमान धारित पद मेन्वापाल
- वर्तमान वेतन 17050 + 33436001- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

3	वर्तमान वेतन 17050 + 3300/-	अभिमान वर्तमान वेतन 17050 + 3300/-					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप रांभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरा गृह तथा अन्य भवन	गूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
इन्दौर 2182	इच्छाती मकान	मकान	25 मीटर	2-45 के नाम पर	बैंक से भोग लेका		

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर Sharmay

नाम शकुंतला मोरे

पद मेन्वापाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

339
8/2/013

पुण्डलिक नाथानी जाल, क्षेत्रीय व्यापक मध्य प्रदेश प्रखण
निर्माण बोर्ड, इन्दौर

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारिता पद एक अधीक्षक
3. वर्तमान वेतन Rs 12,630+3600+DA1686+अन्य भत्ते

आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतसाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
<u>निरेव</u>							

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपिंगी. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह गहौने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर Omudakir N. Kale
नाम वी.एन. काले

पद एक अधीक्षक
क्षेत्रीय व्यापक मध्य प्रदेश प्रखण

म.प्र. प्रखण निर्माण बोर्ड
इन्दौर

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्रीमती नर्मदा बाबा, म.प्र. प्र. नि. यो. 5 गोपाल
 2. वर्तमान धारित पद सहा. कल. अधी.
 3. वर्तमान पेंशन 16610 + D.A. आगामी पेंशनवृद्धि की तारीख 1.7.2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उरा जिले, उप-प्रभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उराका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
<u>पूरा नहीं है</u>							

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : संघप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उराके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उरामें यह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उराके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क. अ. (11)
24/2

हस्ताक्षर Narmada
 नाम श्रीमती नर्मदा बाबा
 पद सहा. कल. अधी.

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है - **विजय शंकर पांडे**
 2. वर्तमान धारित पद - **उच्च अंकी सिविक**
 3. वर्तमान वेतन - **10250+2400+अनुमानित** आगामी वेतनबृद्धि की तारीख - **01 अक्टूबर 2013**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-सभाग, ताल्लुक तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा व्याप्ति	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया? *** स्वयं पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्याप्ति	संपत्ति से वार्षिक आय	अन्य
ग्राम-पट्टा रोड रामपुर तहसील जिला शिव	2.85 पट्टा अधिकृत	कृषि भूमि	10 लाख	स्वयं	पट्टा भूमि विरासत आपा जमीन से	3000/- संग्रह	-

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

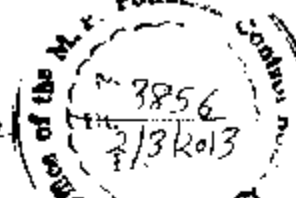
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वह वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

संघर्ष: मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अर्थान प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह अपने स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उससे अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर **विजय शंकर पांडे**
 नाम **विजय शंकर पांडे**
 पद **उच्च अंकी सिविक**

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
 2. वर्तमान धारित पर
 3. वर्तमान वेतन

उत्तम के. लिपिक प्रकाश कुमार सावरे म.प. उच्च शिक्षा नियंत्रण बोर्ड भोपाल
 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-7-2013
 BASIC-9730+Grade Pay 2400+DA 8734

(1) उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) गुंमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उस विन्या प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, प्रिसास, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
AN-100 शकुन्तला नगर राजहरी कोलेगी नियुक्ता कोलेगी तं-इशर जि.भोपाल	20X30= 600 स्क्वायर फीट में हुलियस मकान	—	लगभग 16 लाख	स्वयं के नाम पर है	वर्ष 1985-86 में लॉट स्वयं की बचत से खरीद गया था। वर्ष 98-99 में मकान निगमिकाय बोर्ड से मूक लेटर तथा CPF से राशि प्राप्त कर दिया गया पुनः CPF, बीमा पालिकी परीपक्षता, मनी बैंक तथा बोर्ड से समय-समय पर रियल्टी बचत के प्रक्रम में जिले का निर्यात डिपॉजिट।	—	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसी मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही विवरण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपणियाँ : गध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वांगित का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर था उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

प्रस्तावित 27-2-2013
 नाम प्रकाश कुमार सावरे
 पद उत्तम के. लिपिक

27/2/13

म.प. उच्च शिक्षा नियंत्रण बोर्ड

2090

कार्य

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012.



अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिससे वह हो

कपूरा आदित्यार मण्डल निबंधन बोर्ड, भोपाल

समान धारित पद

उ. प्रो. लि. (द्वितीय श्रेणी)

समान वेतन

आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

1-7-2013

Basic - 9520 + Grade 2400 + DA 8582

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संगम, तालुका तथा ग्राम का नाम जिससे संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यापार गृह तथा अन्य भूमि		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा उर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यापार	संपत्ति से वार्षिक आय	सम्पत्ति
23-ए, साईनगर नगर, कोलार रोड, भोपाल	15X60 900 स्क्वायर फीट डुल्मेस मकान	-	लगभग 18 लाख	स्वयं के नाम पर	वर्ष 2005 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर निर्माणाधीन था एप्रैल 2012 में प्रथम बार सी.पी.एफ. रवाते से एप्रैल समय-समय पर श्रद्धांश व	निरंक	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इरागें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय रोलक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें दृढ़ उनके स्वाक्षर का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसने अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

कपूरा आदित्यार

उ. प्रो. लि.

110
413

27/2-13

2/4/3

॥८॥

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो मोहन साठव
2. वर्तमान स्थिति पर उच्च जेणी लिपिबद्ध आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2013
3. वर्तमान वेतन 9880 + अन्य भत्ते

[illegible]

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ पर्याप्त स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इरामें अत्युत्तम भी शामिल हैं।

टीपिंगी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके रवानगता का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

॥१॥

13c.

उद्योग प्रगति लिमिटेड

1892

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो राधेश्याम मेहरा
 2. वर्तमान धारित पद उच्च श्रेणी लिपिक
 3. वर्तमान वेतन 15440/- अन्य भत्ते आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई - 13

(1) उरा जिले, उप रंगारा, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उराका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वारिसक अधिक	(8) अभ्युक्ति
				पूर्वजगत्			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसी मानले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : गध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

राधेश्याम मेहरा

पद

उच्च श्रेणी लिपिक

पत्ति का विवरण, वर्ष 2012

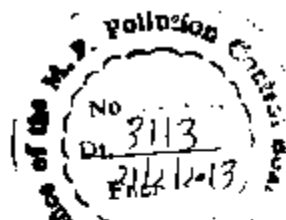
- sub-2013

msw

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

हस्ताक्षर विप. लमाल माल
 नाम विप. लमाल माल
 पद उप-निर्देशक

1641



फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा पता उत्तम राव देशमुख मध्य प्रदेश निवेशन बोर्ड भोपाल
 2. वर्तमान धारित पद उप नि
 3. वर्तमान पतेन आगामी तैयारी की तारीख 01/07/2013

 $11350 + 2800 + 10188 + 20 + 200 + 1411 + 1300 = 27477 = 60$

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा प्राग का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरोद पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ओरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
वर्ष 2012 में कोई अचल संपत्ति छय नहीं की गई है							

* जहाँ लागू न हो कर दीजिए ।

** ऐसी मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ कर्मान् विधिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

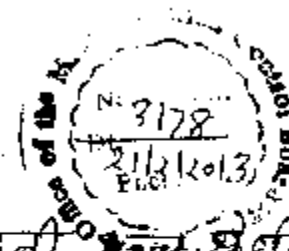
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) निगम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर उत्तम राव देशमुख 20/12/2013
 नाम उत्तम राव देशमुख
 पद उप नि

५. गर्ग

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2-012



अभिजाती/कर्मचारी वन (पूरा) नाम तथा पूरा सेवा का नाम जिरामे पट हो

वर्तमान धारित पत्र 322 श्री ०१ निविदा

आगामी मेला-वृद्धि की तारीख: 01/04/2013

सामान्य वेतन रु. 12,560/- मूल वेतन

नवम् विशोर जो हनी, ^{१०} ~~११~~ प्रेमी प्रियिन्द

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले का सभाग, ताल्लुक तथा ग्राम का नाम जिसमें संघलित स्थित हो।	संघलित का गृह तथा अन्य भवन।	नाम तथा प्लोरे भूमि	*** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसी किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा प्लोरे	संघलित से वार्षिक आय	अनुवित्त
				प्रवानुसार			

* अहाँ लागू न हो काट दीजेए ।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

इसमें अल्पकालीन पढ़ते भी शामिल हैं।

टीपिंग) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

दिनांक - 21/02/2013

क. ३५. (11)

Q. 222

६३५८६।४

नाम नवल किशोर मोहनी

॥३ उच्च श्रेणी लिपि

1712

फार्म



अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-

1 जातिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो विजय कुमार देवान, पञ्चसतीर्थ सेवा
 2 वर्तमान धारित पद उच्च सेनी निदेश
 3 वर्तमान वेतन क. 3830+2400+अन्य भत्ते आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2013

(1) जहाँ जिले, तालुका, तहसील तथा गाँव का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे मूल तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसी प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, गिराफत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) संपत्ति से आय
इस दौरान कोई नया अर्जन नहीं प्राप्त							

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** इस मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपिंगों, मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार 6 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क.अ. (11)

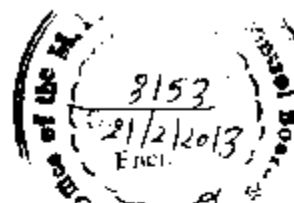
हस्ताक्षर

नाम

पद

विजय कुमार देवान
उच्च सेनी निदेश

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो शेखराम पुजापति, म.उ. प्र. उ. प्र. नि. नि. बोर्ड, नेपाल
2. वर्तमान धारित पद उच्च श्रेणी लिपिक
3. वर्तमान पेंशन 8990+2400+0A आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-क्षेत्र, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरा गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, हथक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
निरंक	निरंक			निरंक			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसी गांगले में जहाँ मूल्य का राही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन षट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय भोचक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 16 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधिन्य का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क.अ. (11)

22/2

हस्ताक्षर Ram
21-2-13नाम शेखराम पुजापतिपद उच्च श्रेणी लिपिक

म.उ. प्र. उ. प्र. नि. नि. बोर्ड, नेपाल

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

9/12/2012 (No 56 9/12/2012)



अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो

वर्तमान धारित पर 8.4.12 आगामी वित्तवृद्धि की तारीख 01-07-2013

(1) उस जिले, उप-जिला, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरा गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
पूरी ताल							

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य वन सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पवयस्कों पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : ग्रामप्रदेश शासकीय शोधक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उससे बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् या छठमास पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क.प्र. (11)

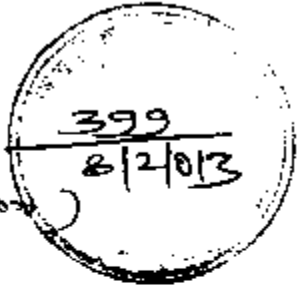
हस्ताक्षर P.K. Singh

नाम 9.12.2012

पद 8.4.12

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो Mohesh Maheshik (1/10/1959) 11/10/2012 9/2/13
2. वर्तमान धारित पद V.D.C.
3. वर्तमान वेतन 19750 + 211 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख मार्च - 13

(1) उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उस किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
<u>Indore</u>	<u>House</u>	<u>-</u>	<u>1300000/-</u>	<u>-</u>	<u>1300000/-</u>	<u>Nil</u>	<u>-</u>

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का राही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के शंभर में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर Mohesh Maheshik
 नाम Mohesh Maheshik
 पद V.D.C.

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012.



प्रधानमंत्री/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्री. राजेश कुमार शर्मा
 उत्तमान धारित पद उप-मो. नि. नि. नि.
 उत्तमान वेतन 21,300/- (Basic + G.P. + D.A.) आगामी वेतनवृद्धि की तारीख July-2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा और गृह तथा अन्य भवन	गुंमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, भेट, वंशज, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा पते	संपत्ति के लक्षिक आश	अवस्थिति

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ गहीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह अपने स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर
 नाम श्री. राजेश कुमार शर्मा
 पद उप-मो. नि. नि. नि.

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो एन. सी. शर्मा
 2. वर्तमान धारित पद डी. जे. ऑ. डी.
 3. वर्तमान वेतन ₹ 260 + 2A आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/13

(1) जिन अचल संपत्तियों का नाम जिसमें संपत्ति रिश्तत हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भूमि भवन	(3)	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्वरोद पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति के वार्षिक आय	(8)
				Nil			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पदों भी शामिल हैं।

**** कर्मचारी शासकीय संवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अपेक्षित है कि वह अपने पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर एन. सी. शर्मा
 नाम एन. सी. शर्मा
 पद डी. जे. ऑ. डी.

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2012

1. अधिकारी का नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो - लक्ष्मीकांत शर्मा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा (म.प्र.) 2. वर्तमान धारित पद - उच्च श्रेणी लिपिक
3. वर्तमान वेतन विसम्बर 2012 रुपये 23,218/- 4. आगामी वेतन वृद्धि की तिथि 01.07.2013

उत्तर जिले, उपखण्ड, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2 सम्पत्ति का नाम तथा बट्टे		3	4 वर्तमान मूल्य	5 यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और कर्मचारी से उसका क्या संबंध है	6 उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा पंध धिरसात भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित किया गया हो उसका नाम तथा व्यौरे	7 सम्पत्ति से वार्षिक आय	8
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
1. ग्राम कुइथा खुद तहसील-रायपुरकचुलियान जिला रीवा (म.प्र.)	ग्राम- कुइथा खुद तहसील-रायपुरकचुलियान जिला रीवा (म.प्र.)	कृषि भूमि ग्राम- कुइथा खुद तहसील-रायपुरकचुलियान जिला-रीवा (म.प्र.)		500 लाख लगभग	स्वयं के नाम पर	पिता जी से विरासत में	कृषि भूमि से वार्षिक आय 20,000/- लगभग	1.पुस्तौनी भू द्वारा बटवा गयी
2. शिवप्रसाद मार्ग, बाल न्यायालय के सामने तहसील- हुजूर जिला-रीवा (म.प्र.)	शिवप्रसाद मार्ग, बाल न्यायालय के सामने तहसील- हुजूर जिला-रीवा (म.प्र.)	आवासीय भवन		17.00 लाख लगभग	स्वयं के नाम से	प्लॉट 60 X 30 फिट का कय किया गया है जिसमें स्वयं के वेतन वृद्धि से एच एरियर्स की राशि से कय किया एवं बोर्ड से 179 लाख आवास ऋण, सीपीएफ से 1.00 लाख तथा बैंक से पर्सनल कृण तथा जीवन बीमा तौड़ाकर उक्त भवन निर्माण कार्य कराया गया ।	स्वयं के उपयोग में	-

* जहाँ लागू न हो काट दीजिये ।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जावे ।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं

टिप्पणी-मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि यह सेवा में पहली नियुक्ति के समय प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके सदस्य के नाम ।

(लक्ष्मीकांत शर्मा)
उच्च श्रेणी लिपिक
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2012

1. अधिकारी का नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो **प्रमोद कुमार मिश्रा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा (म.प्र.)** 2. वर्तमान धारित पद - उच्च श्रेणी लिपिक
3. वर्तमान वेतन दिनांक 2012 रुपये 27,997/- 4. आगामी वेतन वृद्धि की तिथि 01.07.2013

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्पत्ति, उत्पत्ति का नाम तथा अन्य भवन	संपत्ति का नाम तथा अन्य भवन	नमूना स्थिति	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और कर्मचारी से उसका क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति का वार्षिक आय	अन्य
1. ग्राम- मैसरा, तहसील- मरगंज (नईगढ़ी) जिला- रीवा (म.प्र.)	ग्राम- मैसरा, तहसील- मरगंज (नईगढ़ी) जिला- रीवा (म.प्र.)	कृषि भूमि ग्राम-मैसरा, जिला- रीवा (म.प्र.)	15.00 लाख लगभग	पिता जी के नाम से	1 हिस्सा बटवारा 1991 में एवं वर्ष 2006 में हुआ है जो पुरतनी है।	कृषि भूमि का वार्षिक आय 35,000/- लगभग	1. पुरतनी भूमि वर्ष 1991 में अर्जित किया गया
2. ग्राम-मैसराई (तेलिया) तहसील- हनुमान जिला- रीवा (म.प्र.)	ग्राम-मैसराई (तेलिया) तहसील- हनुमान जिला- रीवा (म.प्र.)	कृषि भूमि, ग्राम-मैसराई तहसील- हनुमान, जिला- रीवा (म.प्र.)	15.00 लाख लगभग	पिता एवं चाचा जी के नाम से	वर्ष 1971 में शा.सेवा. में आने के पूर्व कय की गयी है जो पिता जी एवं चाचा जी के नाम है।	प्राप्त आय लगभग 30000/- जो समस्त व्यय उपरांत काटकर प्राप्त होती है जो स्वयं के हिस्से में आती है।	2. कृषि भूमि में कय का एवं प्राप्त आय बटवारा किया
3. अरुण नगर तहसील- हुजूर जिला- रीवा (म.प्र.)	अरुण नगर तहसील- हुजूर जिला- रीवा (म.प्र.)	आवासीय भवन	17.00 लाख लगभग	स्वयं के नाम से	प्लॉट 40 X 30 फिट का कय किया गया है जिसमें स्वयं के वेतन व्यय से एवं पिताजी द्वारा रुपये 20000/- राशि देने पर कय किया एवं बोर्ड से 2.10 लाख आवास ऋण लेकर आवास बनवाया गया।	स्वयं के उपयोग में 1 एवं 12,000/- वार्षिक किराये पर एक कमरा दिया गया है।	-

* जहाँ लागू न हो काट दीजिये।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर में लगभग मूल्य बताया जावे।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल है

टिप्पणी- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि यह सेवा में पदवी नियुक्ति के प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके सदस्य के नाम।

(प्रमोद कुमार मिश्रा)
उच्च श्रेणी लिपिक
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा

फॉर्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2011

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है - आर. ललित राज अध्यक्ष निचला मंडल
2. वर्तमान धारित पद - मे. के. लि. 0
3. वर्तमान वेतन 10840-12440 अगामी वेतनवृद्धि की तारीख अक्टूबर 13

0th 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th								
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उप जिला, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * *	संपत्ति से वार्षिक आय	अन्युक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
नमिका	ग्राम 15440 60000/रु	-	नमिका 4 लाख	अर्जित 21 म जनवरी 2010 4 लाख 2 लाख	ग्राम 1 लाख 2 लाख पिता 1 लाख 2 लाख	नहीं		
नमिका	ग्राम 1 लाख 2 लाख 4 लाख	-	नमिका 4 लाख	अर्जित 21 म जनवरी 2010 12 लाख 4 लाख	ग्राम 1 लाख 2 लाख पिता 1 लाख 2 लाख	नहीं		

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसने यह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर आर. ललित राज
7-2-13
नाम आर. ललित राज
पद मे. के. लि. 0
अध्यक्ष निचला मंडल

1667

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो गोपालकृष्ण शर्मा
2. वर्तमान धारित पद जूनियर इंजीनियर
3. वर्तमान वेतन ₹ 13510-400 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2013

(1) उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद भूदा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आम	(8) अभ्युक्ति
<u>निरंक</u>							

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पदों भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह गहीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वांगित वन तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क. अ. (11)

५
२५/२

हस्ताक्षर G. K. Sharma
नाम गोपालकृष्ण शर्मा
पद जूनियर इंजीनियर

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो **इश्वर कुमार राजभिये (म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यमन्त्री भवन)**
- वर्तमान धारित पद **उ० श्रे० नि०**
- वर्तमान पेंशन नं० **1135042400** आगामी पेंशनवृद्धि की तारीख **1 जुलाई 2013**

(1) उस जिले, उप-सभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा व्योरा गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, गैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
वर्ष 2012 में कोई अचल संपत्ति क्रय नहीं की गई है।							

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अत्याकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वागित्य का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर 

नाम **इश्वर कुमार राजभिये**
पद **उ० श्रे० नि०**

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो के. एच. शॉमस
 2. वर्तमान धारित पद UDC
 3. वर्तमान वेतन 10890 + 2800 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2013

(1) उस जिले, उप-सभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन भूमि	(3)	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतालाईये कि वह किराके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, गिरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
तंजावर कोलार ओड सोपान्त	आजरा एककत कोलार ओड			वर्ष 2012 में कोई अचल सम्पत्ति कम नहीं की गई है।			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उरारें यह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे गिरासत में मिली या उसके अपने नाम पर था उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

के. एच. शॉमस

नाम

पद

UDC

Date 20/2/2013

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-

1. नातिकरी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो राम गोपाल निमारी
 2. वर्तमान धारित पद उ.प्र. नि.
 3. वर्तमान पेशा 11350 फस आगामी वित्तवृद्धि की तारीख जनवरी-2014

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उस संभाग, तात्कालिक गांव या गांव का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा गृह तथा अन्य भूमि		** दर्शाने मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, गैर या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	आयुक्ति
पुलाभही तड़पूर जि. गोपाल म.प्र.	भवन	30x50= 1500sq.ft	30 लाख	स्वयं स्वयं पत्नी के नाम	प्लान खरीद कर 2006 में	25000/-	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी नवप्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह रोज नें पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर R. D. N. M.
 नाम राम गोपाल निमारी
 पद उ.प्र. नि.

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
 2. वर्तमान धारित पद उच्च श्रेणी निमित्त
 3. वर्तमान वेतन 12130 + D.A. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिस जिले, उप रंगगा, तातलुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अपयुक्ति

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अत्यन्तकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उराके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वागित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क. अ. (11)

22/2

हस्ताक्षर

नाम

पद

उच्च श्रेणी निमित्त

1673

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो अम्ब्यादाम डोके
 2. वर्तमान धारित पद उप मजदूर
 3. वर्तमान वेतन 12430 + 2800 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
तत्स जिले, उप रभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किराके राग पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किरा प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
				<u>उपस्थित</u>			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रहा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क. अ. (11)

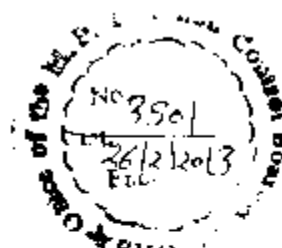
अम्ब्यादाम डोके

हस्ताक्षर अम्ब्यादाम डोके

नाम अम्ब्यादाम डोके

पद उप मजदूर

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012.



1. वास्तुकारी/कर्मचारी वन (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिससे वह हो
 2. वर्तमान धारित पद आबुल हनीफ
 3. वर्तमान वेतन नामर मेन आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 101604 DA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा प्लॉट गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शारायोग्य कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, गैर या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा प्लॉट	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
				निवेष्ट			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-राही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में मदली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वमित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर था उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

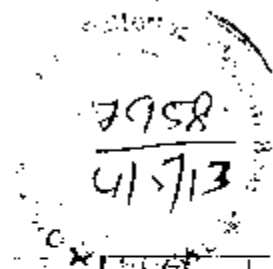
हस्ताक्षर आबुल हनीफ

नाम आबुल हनीफ
पद नामर मेन

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-

1. अधिकारी/कर्मचारी का (हर) नाम तथा उसी सेवा का नाम जिसमें वह हो प्रमोद कुमार मगर
 2. वर्तमान धारित पद सी. ए. डी.
 3. वर्तमान वेतन 95201-7 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलै 13



(1) उस मिले उप संग्रह, गोचर तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा व्योम मूल्य	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद भेट, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योम	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) आवृत्ति।
वर्ष 2012-13 में कबल संपत्ति में कोई वृद्धि/बढ़ाव नहीं है							

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य बन रही—रही निर्धारण करना संभव न हो, वहीं वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम, 1959 के विभाग 18 (3) के अधीन प्रधान श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा—पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसका अपने नाम पर था उसका परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर Pranod Kumar
 नाम प्रमोद कुमार मगर
 पद सी. ए. डी.

अचल संपत्ति
 1/8/12

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो अशोक शिवाजी
 2. वर्तमान धारित पद नि. अ. नि.
 3. वर्तमान वेतन 8550/- अन्य भत्ते अगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2013

(1) उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतालाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, धिरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
<u>रामपुर</u>	<u>रामपुर</u>	<u>रामपुर</u>	<u>रामपुर</u>	<u>रामपुर</u>	<u>रामपुर</u>	<u>रामपुर</u>	<u>रामपुर</u>

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे धिरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर अशोक शिवाजी

नाम अशोक शिवाजी

पद नि. अ. नि.

आम

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-13

1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो (नि. प्र. नि.) लखन लाल पटेल
 2 वर्तमान धारित पद नि. प्र. नि.
 3 वर्तमान वेतन 2510 + 1900 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 07.2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यापार	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसो किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, भूदा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यापार	संपत्ति से प्राप्त आय	अनुवृत्ति
निर्देय	निर्देय	निर्देय	निर्देय	निर्देय	निर्देय	निर्देय	निर्देय

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन षट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह गहीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनका स्व-मिलन का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

लखन लाल पटेल
 नि. प्र. नि.

पृष्ठ सं.

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिससे वह हो के.पी. मिश्रा, म.प्र.प्रशासन विभाग, कोटि नगर
 2. वर्तमान पद सि. ज. नि. नि. क.
 3. वर्तमान वेतन 9,000 + 2,400 + 3,400 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01.06.माई 2012

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-सभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
				<u>इकोनमिस्ट</u>			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपणी: गन्धप्रदेश शासकीय सेवक (आवर्ण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

के.पी. मिश्रासि. ज. नि. नि. क.सि. ज. नि. नि. क.

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012.

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
 2. वर्तमान धारित पद
 3. वर्तमान वेतन

प्रमोद कुमार खरे म० प्र० प्र० नि. वे. के. के. के.
 78504 प्रमोद खरे
 जुलाई 2013

18387 अन्वय							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उत्त जिले उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उत्त किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
प्रमोद कुमार खरे							
अमल दावा							
हाऊस एस्टेट							
प्रमोद खरे							
सतन							

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपिंगी गव्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधिन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि में पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपन नाम पर शेष उससे परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर ...
 नाम प्रमोद कुमार खरे
 पद ...
 म. प्र. प्र. नि. वे. के. के. के.
 करनी

फॉर्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो मौ० हनीफ कुटुबी : म० प्र० प्र० अ० नि० अ० को० भोपाल
- वर्तमान धारित पद नि० अ० नि० अ०
- वर्तमान वेतन ग्रा० न० 1920 C.P. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2013

(1) उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा व्याप्ति		(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	7 संपत्ति से वार्षिक अर्थ	8 अनुमति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1. अचल संपत्ति की जानकारी वर्ष 2010 को दी गई जानकारी फलानुसार है।				निरंक			
				वर्ष 2012 की अचल संपत्ति की जानकारी NIL है।			

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह अपने स्वामित्व का तथा उसमें द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

दिनांक : 02-04-13

हस्ताक्षर (Signature)

नाम मौ० हनीफ कुटुबी

पद नि० अ० नि० अ० (L.O.O.)

फॉर्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

- 1 अधिकारी/कार्यवाही का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो **जितेन्द्र मिश्रा, मध्य प्रदेश पब्लिक कोर्ट, रायपुर**
 2 वर्तमान धारित पद **नि. प्रो. लि.**
 3 वर्तमान वेतन **9170 + G.R + भत्ते** आगामी वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई - 2013**

(1) उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिरात अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
निरंक							

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपिंगी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार गृहीत की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रहा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

जितेन्द्र मिश्रा

नाम

जितेन्द्र मिश्रा

पद

नि. प्रो. लि.

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो ब्रजेश मिश्र ठाकुर
 2. वर्तमान धारित पद नि.श्रे. नि.
 3. वर्तमान वेतन 9170-90 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलै 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उस किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्वरीय पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अप्रयुक्त
				अनुसार			

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसी विरासत में मिली या उसका अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर ब्रजेश मिश्र ठाकुर
 नाम ब्रजेश मिश्र ठाकुर
 पद नि.श्रे. नि.

फॉर्म

अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो शाखेन्द्र सिंह रायस्थान
 2 वर्तमान धारित ऋण नि. प्र. लि.
 3 वर्तमान वेतन 9170=00 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 29/07/2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	रापति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
<u>सागर</u>	<u>गृह के प्रथम मंजिल का निर्माण कार्य</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>गृह के प्रथम मंजिल के निर्माण हेतु स्मृता बैंक सागर से</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इरामें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में रहती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्रम, उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर SC
 नाम शाखेन्द्र सिंह रायस्थान
 पद नि. प्र. लि.

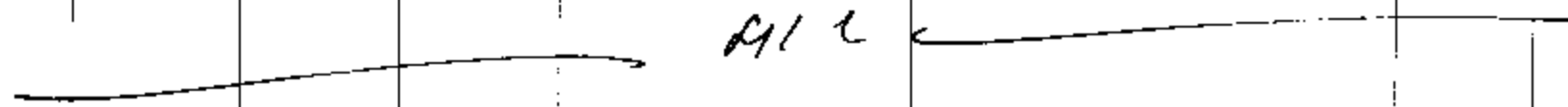
၄၃၂

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

: अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो

7. वर्तमान पदविवरण: LOC, RO, MPDCB, BDC

वर्तमान वेतन : 9170 + DA आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

(1) जो जिले का राशना, नास्तुका तथा ग्राम का नाम जिससे राशति रिखत है	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्वरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
							

* जहाँ लागू न हो कट दीजिए ।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

इसमें अल्पाकार्बन पट्टे भी शामिल हैं।

में गंगे। मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके परिवार के अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हरताञ्जर

જીન

पृ०

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो काकीचरण राम (होम गार्ड मालिक और बिरोधी मोर्चा)
2. वर्तमान धारित पद निरीक्षक, सिविल
3. वर्तमान वेतन आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

(1) जहाँ भूखंड का जमावा, गाँव/ग्राम तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति होती है	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से प्राप्ति आदि	(8) अभ्युक्ति
सि.क्र. 1234 नमूना नगर जिला रोड मेरठ	मकान	X	10 लाख कराबान	पति व पत्नी के मेरा नाम पर	बैंक द्वारा कर्ज से व सहीप्री रफू. रीलोड के जरूरे अर्जित विराद वापस		

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

नियम: अधिदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा के पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह गद्दीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उससे वह उसके स्वामित्व का प्रमाण उत्तम द्वारा प्रमाणित करके विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रहा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर 

नाम काकीचरण राम
पद निरीक्षक, सिविल
देवेन्द्र नगर के. 11/12

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो सौरभ तिवारी, निरंक श्रेणी लिफ्ट
 2. वर्तमान धारित पद निरंक श्रेणी लिफ्ट
 3. वर्तमान वेतन 6650 + D.A. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-13

(1) उस जिले, उप-सभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति के वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रहा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम जिससे वह तो रामकान्त बिजौरा
 2. वर्तमान धारित पद मिशन प्रेसिडेंट
 3. वर्तमान वेतन 9730 + 2400 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
उस जिले, उप-सभाग, ताल्लुक तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसो किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधन, विरासत, गैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
मेरे द्वारा वर्ष 2012-2013 के दौरान किसी प्रकार की अचल संपत्ति कायदा के अंतर्गत नहीं की गई है मालिकाना अधिकार किसी प्रकार से नहीं किया है।								

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधित का तथा/उसके द्वारा अर्जित अथवा उसी विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

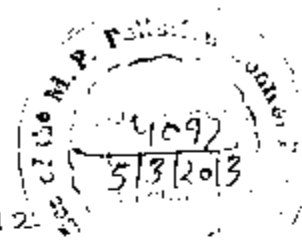
नाम

पद

रामकान्त बिजौरा
मिशन प्रेसिडेंट

2191

फार्म



अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

कर्मचारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो

श्रीमती कल्पना खेत नि० ३० लि० म० १०-५६६०० नि० ३० लि० ५६६००

वर्तमान धारित पद

नि० ३० लि०

वर्तमान वेतन

11930 + D A

आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

1/7/2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उस समाज, जात्युक्त तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा बंधन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, नधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खोश	संपत्ति से पार्ष्वक आदा	अभ्युक्ति
				nil			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-राही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ पर्याप्त स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारट महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

उस्तादर

नाम

कल्पना खेत

पद

नि० ३० लि०

2235

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-

4190
613/2013

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
2 वर्तमान धारित पद
3 वर्तमान वेतन

अनिता मंडल (निर्वाह श्रेणी निविड)

01/07/2013

वर्तमान वेतन 7180 + 1900 L.P		आगामी वेतन वृद्धि का संकेतक 8240						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे	गृह तथा अन्य भवन	गुंमि	*** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतावाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** लक्ष्य पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
—	—	—	—	—	निरंत	—	—	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1969 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व का तथा/उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर
नाम अनिता मंडल
पद निर्वाह श्रेणी निविड

1893

फॉर्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिराने वह हो सुरेश यादव
 2. वर्तमान धारित पद नि. डी. डि.
 3. वर्तमान वेतन 8880 + 14000 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख अप्रै-2013

(1) उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
				निरंक			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सटी निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अव्यवस्थित पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

सुरेश यादव
नि. डी. डि.

1955

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-



1. अंशकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसने यह हो सुंदर रामदेव
 2. वर्तमान धारित पद नि. के. डि.
 3. वर्तमान वेतन 16,476 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिस जिले, उस स्थाग, तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा-व्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किराफे नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, गढ़वा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	संयुक्ति
		9271	15x30	2012			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इरागें अल्पकालीन पदों भी शामिल हैं।

टीप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बरस महीने की अवधि के परचात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर S. Ramdewa
 नाम सुंदर रामदेव
 पद नि. के. डि.

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो मनोज कुमार खंडेल, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश, उज्जैन
2. वर्तमान धारित पद नि.प्र.लि.वि.ड.
3. वर्तमान वेतन 9170 + 25% आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01. जुलाई 2013

(1) उस अर्जित, उप-स्वाम, ताल्लुका तथा प्रांत का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है।	(2) संपत्ति का नाम तथा ध्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, पिरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ध्योरे	(7) हस्ताक्षर से	(8) महंगा
				<u>पूषनिमा 2</u>			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

प्रत्येक राज्य प्रदेश या अन्य सेवा के (आचरण) नियमों, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह अपने न पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उन के सम्पत्ति का विवरण अर्जित अथवा लगे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम मनोज कुमार खंडेलपद नि.प्र.लि.वि.ड.

01/07/2013

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/वर्गकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिससे वह हो आर० पुल० सिंघाडिया, स० ७० प्रमुख नियंत्रक कोड उज्जैन
2. वर्तमान धारित पद निष्ठा जी० सी०
3. वर्तमान वेतन 8260 + अन्य भत्ते आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
* पूर्वानुसार							

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-राही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आधरण) नियम, 1959 के नियम 10 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

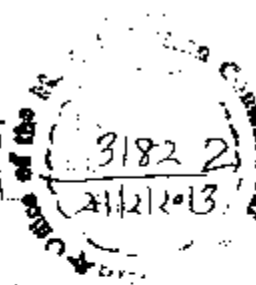
आर० पुल० सिंघाडिया
निष्ठा जी० सी०

1710 To,

S.O. (Estt.)

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



02/2013-

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
 2. वर्तमान धारित पद नि:श्रेणी (Upgraded)
 3. वर्तमान वेतन आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

97301-

JULY, 2013.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	मेरे द्वारा वर्ष 2012-2013 के दौरान कोई अचल सम्पत्ति है।			2013 के दौरान कोई क्रय एवं निवृत्त नहीं की गई जानकारी पूर्वावसार है।			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क. म. (11)
 22/2

हस्ताक्षर

नाम

पद

M.M. Pant

नि:श्रेणी.
(Upgraded).

1954

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है श्रीमति अंजू करैया (रूप पदवी निधायन बोर्ड E-5 अमेरिका के भीषण)
2. वर्तमान धारित पद निम्न श्रेणी डिप्टी
3. वर्तमान वेतन 5200/- + डी.ए. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
होशंगाबाद जिला होशंगाबाद (म.प्र.)	-	आकाशेय प्लॉट (30'x50')	लगभग 8.50 लाख	स्वयं के नाम पर है	स्वयं की पहचान (सिरीज नं. 200/13) अपने सीपीएफ की राशि निकालकर खरीदा गया, दो वर्ष पूर्व।	कुछ नहीं	

* जहाँ लागू न हो कार्ट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ भूखण्ड का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अत्यवस्थिति पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) विभाग, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रधान श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वह अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रहा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

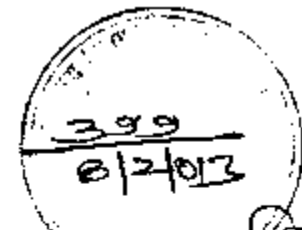
हस्ताक्षर

नाम श्रीमते अंजू करैया

पद नि. श्रे. नि.

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो ज्योत्सना प्रकाश तिवारी, म.प्र. प्रदेश निबंधन सेवा, बी.के. (आर)
 2. वर्तमान धारित पद निम्न श्रेणी लिपिक
 3. वर्तमान वेतन 7180 + 900 ग्रैड आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संगण, ताल्लुका तथा ग्रांम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	निरंक			निरंक			

- * जहाँ लागू न हो कट दीजिए ।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 1B (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम ज्योत्सना प्रकाश तिवारी

पद निम्न श्रेणी लिपिक

1680

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012.



अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो

मंगलसिंह पचारा, ज.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल

वर्तमान धारित पर

नि.शे.लिपिक

वर्तमान वेतन

7590 + 1900 + DA

आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

01-7-13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-सभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बरालाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है;	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा प्लोरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अवयुक्ति
निरंक	निरंक			निरंक			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्ता का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क. अ. (11)

उसका पता

नाम मंगलसिंह पचारा

पद नि.शे.लिपिक

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस रोवा का नाम जिसमें वह हो रवेत सिंह
 2. वर्तमान धारित पद नि. प्र. नि.
 3. वर्तमान वेतन 9520 + 2400 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2013

(1) उस जिले, उप-सभाग, ताल्लुका तथा ग्राम वन नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा गृह तथा अन्य भवन	(3) गुंथे	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वतः के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
				<u>रवेत सिंह</u>			

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य कम राही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह रोवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसका अपने नाम पर या उसका परिवार के किसी सदस्य के नाम

क. प्र. (11)
रवेत सिंह

हस्ताक्षर रवेत सिंह

नाम रवेत सिंह

पद नि. प्र. नि.

मो. प्र. प्र. नि. वे. प्र. मो. प्र. नि.

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो अशोक कुमार केदार
2. वर्तमान धारित पद 12-के-12
3. वर्तमान वेतन 22021/2 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 12-13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अन्युक्ति
<u>मोहम्मद</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>N/A</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और तबसे वह उनके स्थानित का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर Smt. Shree Sanyal
 नाम श्रीमती सुनील केदार
 पद 12-के-12

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस रोव का नाम जिसमें वह हो रघुनाथ सिंह नामदेव
 2. वर्तमान धारित पद निष्पक्ष लिख
 3. वर्तमान वेतन 8750 + 2400 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-जुलाई-2013

(1) उस जिले, उप-सभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा व्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्वयं, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
ग्राम व. पो. सो. जि. सीहोर संभाग-भोपाल (म.प्र.)	कच्चा मकान, गांव में	6.33	शासकीय निष्पक्ष लिख	मेरे हथ में है भाई श्री (1) नामदेव के नाम से शासकीय पदवेतन से अर्जित है, निष्पक्ष लिख (अभीत)	पेट्टा पेट्टा	—	—

इस में की जानकारी दे दी गई है। वर्ष 2012 की रिपोर्ट में जानकारी निम्न काही जाये।

- * जहाँ लानु न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का राही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम, 1959 के नियम 14 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उरी विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर हया उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क-अ. (11)

2/12

हस्ताक्षर

नाम रघुनाथ सिंह नामदेव

पद निष्पक्ष लिख

म.प्र. उ.प्र. नि.प्र. लिख
 लिखा आया

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2011

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो राशि मोहन, नि.अ.नि. सेवा, आरक्षित
 2. वर्तमान धारित पद नि.अ.नि.
 3. वर्तमान वेतन ११७०४ (अ.११९००) आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ०१/०७/२०१३

(1) उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	(3) गृह तथा अन्य भवन भूमि	(4) वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरे	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
<u>जिला: आरक्षित</u>	<u>पट्टा क्रम</u> <u>F-203, प्रथमा</u> <u>वर्तमान संपत्ति</u> <u>नं. 1, इंदिरापुरा</u> <u>आरक्षित</u>	-	<u>१,००,०००/-</u> <u>(एक लाख)</u>	-	<u>बैंक लोन (आई.डी.आई.सी. बैंक)</u> <u>आरक्षित सेवा, आरक्षित</u>	<u>स्वयं</u> <u>निर्गत है</u>	-

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् सह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2013

- अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2013
1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है - कु. हेमलता माहोदय, मण्डल प्रमुख, नि.क.वा. बोर्ड, उदालगिर
2. वर्तमान धारित पद - नि.क.वा. बोर्ड
3. वर्तमान वेतन - 71800/- अग्रिम अन्न - आगामी वेतनवृद्धि की तारीख - 2013
- | विवरण | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|---|---|
| | | | |

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	7	8
उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा खोरे	भूमि	* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * *	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन				खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा ऊर्जन की तारीख और जिससे आर्जन की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा		
				- निरंक -			

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।
 * * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 * * * इसमें अल्पकालीन पदार्थ भी शामिल हैं।

लिप्पणी: मध्यप्रदेश शांस्कोष सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहचानि नित्युक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्यामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाग

५२

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-13

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है रामकृष्ण तिवारी म. प. पदस्थ मिडिलेरी जेड ० सी. ए. २
 2. वर्तमान धारित पद मिडिलेरी तिवारी
 3. वर्तमान वेतन ४४३० म. ए. म. ए. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई - 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप स्भाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा बोरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अव्यक्ति
ग्राम शासिका व मनकरी तहसील मु शमशेर जिला सुतना (म. ड.)	रंगपुर	22 एकड़ जमीन 22.40 x 90 म. ग. मु. शमशेर को. शासिका मि. तिवारी हो. ४५५५	लगाभूत हस्ता 20 लगाभूत हस्ता 20	X	उक्त वा. शासिका की सेवा के अर्जित हुए हुए जमीने के मालिक शा. शा. शा. शा.	35000/-	

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर R. K. Tiwari
 7-2-13
 नाम रामकृष्ण तिवारी
 पद मि. तिवारी

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
 2. वर्तमान धारित पद...
 3. वर्तमान वेतन...

कच बल राम सुपवाडेवा देव
 1/7/13

(1) उस जिले, उप रांभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसो किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्वरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
जिले	जिले	जिले	जिले	जिले	जिले	जिले	जिले

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आवर्ण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रहा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क. अ. (11)

242

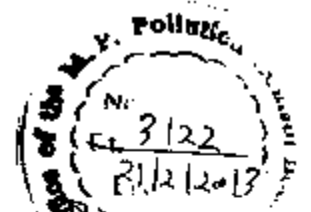
हस्ताक्षर

नाम

पद

H. (11)
 कच बल राम
 सुपवाडेवा देव

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन

शंकर राव माकोडे (सुपरवाइजर)

90001

आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

1/6/2013

(1) उस जिले, उप-संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
निरंक 1	निरंक 1	निरंक 1	निरंक 1	निरंक 1	निरंक 1	निरंक 1	निरंक 1

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसी गांगले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

Shankar

शंकर राव माकोडे

सुपरवाइजर

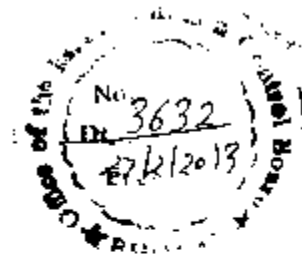
क. अ. (11)

22/12

1950

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. प्राधिकारी/कर्तव्यारी का (पुराना) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो जयदा पुनपय विमर्ग.
2. वर्तमान धारित पद कृषि सहायक
3. वर्तमान वेतन 31882/91448 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2012

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, तालुका, तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उस किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्वयं मट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा पते	संपत्ति से वार्षिक आय	अवस्थिति
जयदा पुनपय विमर्ग	गृह तथा अन्य भवन	कृषि भूमि	1.25 लाख	संगठन के नाम पर	विरासत	2.5 लाख	1/4 भाग
जयदा पुनपय विमर्ग	गृह तथा अन्य भवन	कृषि भूमि	30 लाख	संगठन के नाम पर	विरासत	1.5 लाख	1/4 भाग

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-राही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इतरण अल्पकालीन पदों भी शामिल हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारद गहीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

जयदा पुनपय विमर्ग.
कृषि सहायक

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन

इन्दर सिंह चावड़ा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
श्रीधर लेखक-II
रु. 18630/- + 4200/- + भत्ता
आगामी वेतन यदि की तारीख
जुलाई - 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
इन्दौर	इन्दौर में मकान पैदा- कैसे तैयार रु. 9.00 लाख	भूमि/कृषि सिंचित	अनुमानित रु. दो करोड़	माता जी व मेरे स्वयं के संयुक्त नाम से	विरासत	निर्धारित नहीं है, भर्रा पर निर्धार	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 15 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर
नाम इन्दर सिंह चावड़ा
पद श्रीधर लेखक-II

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्रीमती मंगला मोर्य
2. वर्तमान धारित पद डी.प्र.लेखक ग्रेड-II
3. वर्तमान वेतन 18170 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 13

2.	वर्तमान धारित पद	अध्यक्ष	आगामी वेतनवृद्धि की तारीख	जुलाई				
3.	वर्तमान वेतन	18170						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन			निरंक				

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा सरो विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर
 नाम मंगला मोर्य
 पद डी.प्र.लेखक ग्रेड-II

अ.प्र. प्रमाणित, 810 प्रयो:
इन्दौर

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2011

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्रीमती मनीता ठाकुर, म.प. उद्देश्य बोर्ड, ग्वालियर
 2. वर्तमान धारित पट 211 पुनर्वसन II
 3. वर्तमान वेतन 21130 + 3 म.प.प. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2013

(1) उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा व्याप्ति	(3) वर्तमान मूल्य	(4) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(5) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा प्लॉट	(6) संपत्ति से वार्षिक आय	(7) अन्य विवरण
गोधुशेड़ा नायापुरा भोपाल	गृह क्षेत्र	आवासीय प्लॉट	लगभग 5 लाख	स्वयं के नाम पर राजर्षि गृह निर्माण सहकारी समिति, भा.प. 13.1.92	—	—

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सम्भव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाय।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी से। के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

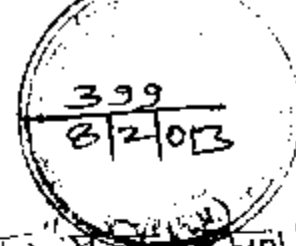
हस्ताक्षर श्रीमती मनीता ठाकुर 7/2/13

नाम श्रीमती मनीता ठाकुर

पद श्री पुनर्वसन II

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



क्षेत्रीय कार्यालय

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिससे वह हो
- वर्तमान धारित पद
- वर्तमान वेतन

श्रीमती कुष्णा मेहता "जेनोग्राफर" मेन्टल डिपेंडेंसी निपटारा धार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-सभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन						

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्वा उसका परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

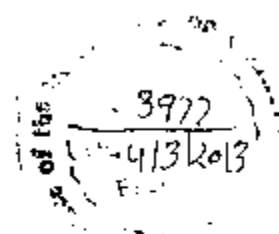
श्रीमती कुष्णा मेहता
 जेनोग्राफर
 क्षेत्रीय कार्यालय, धार

2114

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिससे वह हो नरेंद्र कुमार कुशवाह
 2. वर्तमान धारित पद श्रीधर्नशिवक ग्रेड-II
 3. वर्तमान वेतन 24/20/- + D.A. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2013



(1) जिस जिले, उप-सभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा छोटे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईगे कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसी किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
<u>पुर्वनाशुआर</u>							

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का राही-राही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार 6 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

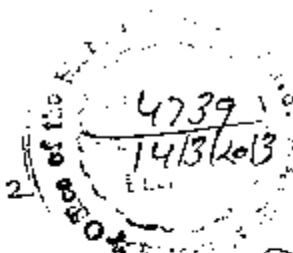
नाम नरेंद्र कुमार कुशवाहपद श्रीधर्नशिवक ग्रेड-II

02/04/13
4/13

2491

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो नन्द लाल सिंह राजपूत, गठ प्रमुख इकाई विद्येकाग्र केंद्र
 2. वर्तमान धारित पद सी.ए. ले. (क) गे-2
 3. वर्तमान वेतन 6820 + 4140 + 1140 = 12100 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2013

(1) उस जिले, उप-सभाग, ताल्लुक तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1) ग्राम-बडेरा लोथान तहसील-राजपुर जिला- दिल्ली प्रदेश	गृह	व्यक्तिगत भूमि	-	स्वयं के नाम पर (हस्तगत)	विरासत के पैतृक लेपन	आकस्मात आय	
(2) ग्राम-मेरातहरी बोट जिला-मुरादाबाद	गृह	व्यक्तिगत भूमि	-	स्वयं के नाम पर (हस्तगत)	जाना है विरासत के	-	
(3) ग्राम-बिनी लोथारी जिला-मुरादाबाद	भवन	-	-	पत्नी के नाम पर जो स्वयं शासकीय कर्मचारी है। शासन के गठ प्रमुख इकाई विद्येकाग्र केंद्र में कार्यरत है।	कोलोनाइज (के.एम.एस.) के रूप में अर्जित किया गया। 2005 बैंक लेन, फंड पर कर्ज के	नहीं	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्लकास्तीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर [Signature] 14/3/13
 नाम नन्द लाल सिंह राजपूत
 पद सी.ए. ले. (क) गे-2

[Signature]
14/3

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो विनय कुमार वैजिआ
2. वर्तमान धारित पद डीप्रूजिअट से-II
3. वर्तमान वेतन 1007 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
—	—	—	—	—	—	—	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-राही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम विनय कुमार वैजिआ

पद डीप्रूजिअट से-II

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-13

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर्ण) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो अरुण कुमार सक्सेना, सी.एस.डी.ओ. 15, ए.एम.ए.म.प्र.प्र.नि. बोर्ड, सोनम
2. वर्तमान धारिता एवं 2. नि.प्र.के.र.क. गेड-15
3. वर्तमान वेतन 70+42.00 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया: *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अपयुक्ति
बिलासपुर जिला पावनवी नगर खोपाला	भवन	—	लगभग २२ ला.रु.	—	पूतानुसार	—	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसे अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर Arun Kumar Saxena
नाम अरुण कुमार सक्सेना
पद सी.एस.डी.ओ. 15
स्थान ए.एम.ए.म.प्र.प्र.नि. बोर्ड,
सोनम

4816

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

7435

31/5/13

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो दे.पी.पटेल
 2. वर्तमान धारित पद सी.एस.डी.ओ.
 3. वर्तमान वेतन 17240 + DA आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
उस जिले, तहसील संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरा	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	पूर्व अनुकार							

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

K.P. Patel

K.P. Patel

SI

फॉर्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2001-02

एस. एल. कोटा,

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
 2. वर्तमान धारित पद
 3. वर्तमान वेतन अगामी वित्तवर्ष का तारीख

डी.यू.लोकान्ध - डी-2

16840 + 4200

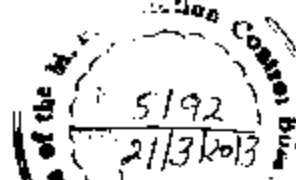
जुलाई - 13

(1) उत्ता जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है	(2) संपत्ति का नाम तथा व्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** उससे पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अवस्थिति
जवाहर संभागा-	भवन	आवासीय	1994 3.00 लाख-	पत्नी (सीमल भीरा कोटा)	म. 9. राज्य विद्यालय लेकिन लेकर भार मिलान करार गए	-	-

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का राही सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अलगावशील पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी: शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अर्थान प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में उनकी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीनी की अवधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह समस्त स्वमित्त का तथा उसके द्वारा अर्जन अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रहा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर
 नाम एस. एल. कोटा
 पद डी.यू.लोकान्ध - 2



अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा पद अपमंडी का नाम जिसमें वह हो रतिपाल ठाकुर मध्य प्रदेश पंचायत राज सेवा
2. वर्तमान धारित पद अपमंडी
3. वर्तमान वेतन Rs 11760 + 3200 (GP) + D.A. आगामी वेतन-पुर्जा की तारीख 21/7/2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-सभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतालाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	तब किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
अचल संपत्ति का विवरण प्रकीर्ण है विहीन वर्ष 2012-2013 के कोई अचल संपत्ति अनु/विक्रय नहीं की गई							

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन भूदों भी शामिल हैं।

टीप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में फटली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारक महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभिव्यक्ति का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम रतिपाल ठाकुरपद अपमंडी

फार्म

दिनांक 31.12.2012 की स्थिति में सम्पत्ति का व्यौरा वर्ष -2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो सुधांशु तिवारी
उपयंत्री म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा
2. वर्तमान धारित पद उपयंत्री
3. वर्तमान वेतन 24324.00 आगामी वेतन वृद्धि की तारीख 01.07.2013

क्र.	उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थिति हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतालाइए व किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यवसाय	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	ग्राम-तिवनी, तह. -मनगावां, जिला-रीवा	गृह	भूमि (25 एकड़)	लगभग 1.00 करोड़ रु.	पिता के नाम पुरतैनी भूमि	विरासत	लगभग 5.00 लाख खेती एवं मोबाइल टावर	-
2.	अरुण नगर रीवा, तह. -हुजूर, जिला-रीवा	गृह	12800 वर्ग फिट	लगभग 20 लाख	पत्नी के नाम से भूमि एवं गकान	पत्नी के पिता द्वारा भेट	लगभग 3 लाख रुपये मकान किराया	बैठे 2003 म.प्र. मि. जा. प्र.
3.	-	वाहन	मारुति जेन इस्टिलो	4.50 लाख रु.	स्वयं	एस.बी.आई	बैंक लोन	निल
4.	-	वाहन	स्कूटी	50 हजार रु.	स्वयं	श्री राम फाइनेंस कं.	लोन	-

जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए ।

इसमें अल्प कालीन पट्टे भी शामिल हैं ।

टिप्पणी :- म.प्र. शासकीय सेवक आचरण नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहले नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वमित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के सदस्य के नाम

(Signature)

सुधांशु तिवारी
उपयंत्री

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रीवा (म.प्र.)

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसने वह हो मुजबल सिंह चिहदार,
2. वर्तमान धारित पद प्रमुख निरीक्षक
3. वर्तमान वेतन रुपये 125701/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-सभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, वंशज, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
ग्राम - सेतलडा तहसील - सुन्दर जिला - रमपुर (म.प्र.)	कृषि भूमि (कृषि भूमि)		10.20 लाख	2-वर्ष के मकान (पक्का)	पैतृक संपत्ति	30/- हजार	

* जहाँ लागू न हो फाट दीजिए।

** ऐसी गांगले में जहाँ मूल्य का सही-राही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 19 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के 5 वेक राइट्स से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह गहने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर Mujbal Singh
नाम वी.एस. चिहदार
पद प्रमुख निरीक्षक
श्री. ज. प्रकाश मिश्रा
जिला पट्टा

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-13

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो सुखवीरम सोरठे, म.प्र. प्र. नि. बोर्ड जबलपुर
 2. वर्तमान धारित पद आ.मान नियंत्रक
 3. वर्तमान वेतन 10150 + अन्य भत्ते आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई - 2013

[illegible]

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन घट्टे भी शामिल हैं।

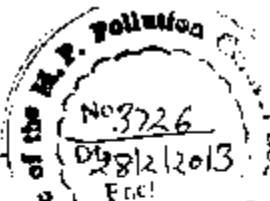
टीप्पणी : गद्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उन्हे वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर 
नाम पुरुषोत्तम चौखे
पद सांग्राम निजकार

2024

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो मु. ज. बलसिंह चौधरी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल
2. वर्तमान धारित पद सहायक मानचित्रकार
3. वर्तमान वेतन 12,700 + 2800 + अन्य भत्ते आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उरो किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अवधि
① ग्राम-कि. (मच) रसिल्ली तह. + जिला-विदिशा	गृह	कृषि भूमि	10.0 लाख	स्वयं	विरासत / पैतृक	30,000/-	
② झांझ बिकार मझपुरा जिला	भवन 840 वर्ग फीट	—	20.0 लाख	स्वयं	भविष्य विधि व गृहणकर्ता उज्जाला लुड्डिगा फार्मेशन प्रा. लि. वर्ष 2004	—	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

28/12/2013

सहायक मानचित्रकार

सहायक मानचित्रकार

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-

दीपक चिमकुं



1. जांचकारी/कर्मचारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो दीपक चिमकुं
2. वर्तमान धारित पद सहायक निरीक्षक
3. वर्तमान पेशन 20,967/- (एच.ए.सी. + डी.ए. + डी.आर.) आगामी वेतनवृद्धि की तारीख July 2013

(1) उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शारावसीय कर्गचारी से क्या संबंध है।	(6) उसके किस प्रकार अधिष्ठित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) आप्तुवित
म.प्र. 2 प्रख. म.प्र. जागमुंजलिमा डी-6 मुंजलिमा जगर म.प्र.	म.प्र.	सामुदायिक 30x5 फीट (1500 कि.मी.)	30,00,000	स्वयं	जाग 2 प्रख. 11 व. म.प्र. 2 प्रख. 20 फीट जाग 2 प्रख. डि. से म.प्र. के 2 प्रख. म.प्र. जाग 2 प्रख. RS. 30,00,000/- जाग 2 प्रख. 2001 म. वि.म. 2 प्रख. 2003 म.		

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही तरीका निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपिंगी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) निगम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वास्तित का तथा उसका द्वारा अधिष्ठित अथवा उसी विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर था उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

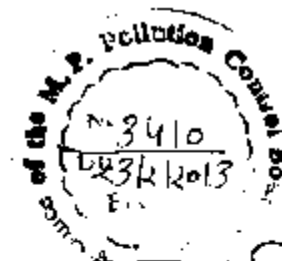
दीपक चिमकुं

दीपक चिमकुं

सहायक निरीक्षक

1819

फार्म



अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो धर्मदास चौरे, मा. उ. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपास
 2. वर्तमान धारित पद असहायक ओड-1
 3. वर्तमान वेतन 15040+3600+DA आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई

(1) उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
	11			पूर्व वर्ष अनुसार है	11		

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर इया उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क. अ. (11)

26/2

हस्ताक्षर धर्मदास चौरे
 नाम धर्मदास चौरे
 पद असहायक ओड-1
 दि. 23/02/2013

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो राम नारायण चुर्वेदी
2. वर्तमान धारित पद अनुप्रेषक
3. वर्तमान वेतन 9000+1900 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किरा प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
बीवा	आवासीय भवन	30X40 = 1200	25 लाख	स्वयं	पिताजी द्वारा विरासत में प्राप्त	स्वयं का निवास	
शुभम ऊँचहीला तह मनगवाँ जिला बीवा	5 एकड़ कृषि भूमि सम्मिलित परिवार में	5 एकड़ कृषि भूमि सम्मिलित परिवार में	25 लाख	पुत्तैनी सम्मिलित परिवार के नाम	पुत्तैनी	50/हजार रु. वार्षिक	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पदों भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर Rhadi
नाम रामनारायण चुर्वेदी
पद अनुप्रेषक